

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।
प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15,दिनांक- /06/2026

विषय:- श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0 क्र0-132/26 के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मंत्रिपरिषद के विघटन के फलस्वरूप श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0 क्र0-132/26, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-14.04.2026 के अपराहन में आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के पद का स्वतः प्रभार त्याग किया गया एवं दिनांक-15.04.2026 के पूर्वाहन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का आदेश संख्या-7558, दिनांक-29.04.2026 द्वारा श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (पदस्थापन की प्रतीक्षा में), को जिला स्तर पर पंचायत-वार निर्धारित 'सहयोग शिविर' के प्रभावी संचालन हेतु कैमूर जिला में प्रतिनियुक्त किया गया।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-8473, दिनांक-13.05.2026 द्वारा श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0 की सेवा माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-576, दिनांक-20.05.2026 द्वारा श्री सिंह को माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-576, दिनांक-20.05.2026 के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक-20.05.2026 को पूर्वाहन के प्रभाव से अधिसूचित पद का स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया।

4. इस प्रकार श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0 दिनांक-15.04.2026 से दिनांक-19.05.2026 तक प्रभार रहित अवधि में रहे।

21/05/2026

5. श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0क्र0-132/26, तत्कालीन आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना, सम्प्रति आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग, बिहार, पटना की प्रभार रहित अवधि दिनांक-15.04.2026 से दिनांक-19.05.2026 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है-

(i) दिनांक-15.04.2026 से दिनांक-29.04.2026 तक मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(ii) दिनांक-30.04.2026 से दिनांक-07.05.2026 तक कर्तव्य अवधि के रूप में।

(iii) दिनांक-08.05.2026 से दिनांक-19.05.2026 तक मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(iv) उक्त अवधि में श्री बिमल कुमार सिंह, बि0प्र0से0 को कोटि वेतन देय होगा।

6. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1301/2025-9667/सा0प्र0, पटना-15, दिनांक-02/06/2026

प्रतिलिपि:-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्री बिमल कुमार सिंह, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।